

निदेशक, भाकृअनुप-के.मा.शि.सं., मुंबई नीचे दी गई अनुसूची के अनुसार प्रतिष्ठित फर्मों से एकल बोली प्रणाली के तहत वेबसाइट www.eprocure.gov.in के माध्यम से "समुद्री मत्स्य पालन जलयान की नीलामी" के लिए ई-निविदाएं आमंत्रित करता है:

निविदा विवरण:

1	निविदा आईडी	
2	टेंडर जारी करने की शुरुआत डाउनलोड	30 अगस्त 2022
3	निविदा जमा करने की अंतिम तिथि	20 सितंबर 2022
4	हाइब्रिड मोड में प्री-बिड मीटिंग (ऑनलाइन और ऑफलाइन)	05 सितंबर 2022
5	प्री-बिड मीटिंग स्थल	भाकृअनुप-के.मा.शि.सं., मुंबई
6	बोली का प्रारंभ	21 सितंबर 2022
7	निविदा का तरीका	खुला हुआ
8	निविदा प्रकार	नीलामी
9	निविदा श्रेणी प्रकार	नीलामी
10	बोली का प्रकार	एकल बोली (वित्तीय)
11	निविदा वैधता	90 दिन
12	सफल बोलीदाता के चयन के बाद वापसी योग्य ईएमडी जमा (रुपये में)	रुपये (INR) 4,00,000/- डिमांड ड्राफ्ट के रूप में
13	सुरक्षा जमा राशि	25% (निविदा मूल्य)
14	निविदा मूल्य (अनुमानित)	रु.(INR)2,00,00,000/-
15	जलयान का स्थान	मुंबई पोर्ट
16	प्रस्तुत करने के लिए बोलीदाता	1. फर्म का पंजीकरण 2. इनकम टैक्स रिटर्न - 3 साल 3. पैनकार्ड 4. जीएसटी संख्या

निदेशक के.मा.शि.सं., मुंबई समुद्री मत्स्य जलयान (एमएफवी) सरस्वती और इसकी सूची को सीपीपी पोर्टल पर नीलामी के माध्यम से 'जहां है जैसी स्थिति' में निपटाने का इरादा रखता है।

नीलामी दिनांक 30/08/2022 शुरू होती है और नीलामी सूची में निर्दिष्ट दिनांक 20/08/2022 को बंद हो जाती है।

जलयान का निरीक्षण 01/09/2022 से 19/09/2022 तक 10.00 बजे से 16.00 बजे के बीच किया जा सकता है, सोमवार से शुक्रवार तक लंच ब्रेक (कार्य दिवसों पर 12.00 घंटे और 13.00 बजे) को छोड़कर, पोर्ट अधिकारियों की पूर्व अनुमति से . सीआईएफई इस संबंध में सहायता करेगा।

इच्छुक बोलीदाता निरीक्षण के दिनों में बंदरगाह को जलयान का निरीक्षण करने की अनुमति प्राप्त कर सकते हैं। बोलीदाता अपने दिशानिर्देशों के अनुसार मुंबई पोर्ट ट्रस्ट में आवेदन करके आवश्यक डॉक एंट्री परमिट प्राप्त कर सकते हैं।

निपटान अवधि: सीआईएफई द्वारा जारी निपटान आदेश जारी होने की तारीख से अधिकतम 100 दिन (ठेकेदार द्वारा सीआईएफई मुंबई से जलयान का निपटान)

नीलामी की वैधता: ई-नीलामी बंद होने के अगले दिन से 6 महीने।

इस कैटलॉग में 'जहां है जैसी स्थिति' में मरीन फिशिंग वेसल (एमएफवी) सरस्वती और स्पेयर्स की बिक्री के लिए ई-नीलामी शामिल है। नीलामी में भाग लेने के इच्छुक बोलीदाताओं को पूर्व-नीलामी ईएमडी (नीलामी सुरक्षा) के रूप में जमा करना होगा - ₹ 6,00,000/- (छह लाख रुपये मात्र) के.मा.शि.सं, मुंबई को। जिन बोलीदाताओं ने केवल पूर्व-नीलामी ईएमडी (नीलामी सुरक्षा) जमा कर दी है, उन्हें बोली में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी।

1. असफल बोलीदाताओं की पूर्व-नीलामी ईएमडी (नीलामी सुरक्षा) ईमेल या पत्रों के माध्यम से धनवापसी अनुरोध प्राप्त करने के बाद नीलामी बंद होने के बाद संबंधित असफल बोलीदाताओं को सीधे वापस कर दी जाएगी। (ईमेल आईडी- buy@cife.edu.in)
2. उच्चतम बोली लगाने वाले की नीलामी पूर्व ईएमडी (नीलामी सुरक्षा) को केवल बिक्री मूल्य के अंतिम भुगतान में समायोजित किया जाएगा।
3. बिक्री मूल्य का भुगतान करने में विफल रहने पर उच्चतम बोली लगाने वाले की नीलामी पूर्व ईएमडी (नीलामी सुरक्षा) जब्त कर ली जाएगी।

बोली के संबंध में किसी भी प्रश्न के लिए निम्नलिखित अधिकारियों से संपर्क किया जा सकता है।

क्रमांक	अधिकारी का नाम	पद	मोबाइल नंबर
1	श्री भूमेश्वर लक्ष्मण कोक्कुला	वरिष्ठ प्रशासनिक अफसर	9892960036
2	श्री सूरज गुप्ता	सहायक प्रशासनिक अधिकारी (क्रय)	9930812975

केन्द्रीय मात्स्यिकी शिक्षा संस्थान, मुंबई

अनुसूची A

परिशिष्ट-1

1. जलयान का नाम : एमएफवी सरस्वती
2. एल.ओ.ए. : 36.57 मीटर
3. पंजीकृत लंबाई: 33.42 मीटर
4. जी.आर.टी. : 311.66
5. एन.आर.टी. : 151.95
6. चौड़ाई : 8.02 मीटर
7. ढला हुआ गहराई: 4.40 मीटर - माध्य: 3.22 मीटर
8. अधिकारिक संख्या: एफ.बीओएम 0040
9. कॉल साइन: एटीवीक्यू
10. झंडा : भारतीय
11. प्रकार: मत्स्य पालन
12. रजिस्ट्री का बंदरगाह: मुंबई
13. निर्माण का वर्ष : 1980
14. पंजीकृत स्थान: वास्को-डी-गामा (गोवा) यार्ड - 1086
15. पंजीकृत वर्ष : 1982
16. इंजन मेक: कैटरपिलर 615.45 किलोवाट, 825 बीएचपी
17. बी.एच.पी. : 1225 आर.पी.एम
18. सिलेंडर : 12 वी, 4
19. इंजन बनाने का वर्ष : 1975
20. एमएमएसआई नंबर: 419900370
21. सैट-सी, आईडी: 441900658
22. जीवन रक्षक उपकरण : 38 व्यक्तियों के लिए
23. इंजन संख्या: 67B2130
24. ताजे पानी की क्षमता : 48 एम/टी
25. ईंधन क्षमता: 78000 लीटर
26. एम/ई ईंधन की खपत : 100 लीटर/प्रति घंटा

20/04/2022 को एमएफवी सरस्वती की सूची

क्रमांक	ब्रिज उपकरण	मात्रा
1	जी पी एस	01सं.
2	सोनार	02सं
3	रडार	01सं
4	प्रिंटर के साथ सैट-सी	01सं
5	एआईएस	01सं
6	नावटेक्स	01सं
7	एमएफ / एचएफ	01सं
8	वीएचएफ	01सं
9	ऑटो पायलट	01सं
10	इंटरकॉम (वापिस बातचीत हेतु)	01सं
11	पत्रिका कम्पास	01सं
12	बैरोमीटर	01सं
13	दूरबीन	02सं
	एल एस. ए. एवं एफ. एफ .ए.	
14	जीवन बेड़ा	02सं
15	लाइफ जैकेट	42सं
16	अग्नि शमन बोतल	19सं
17	अग्नि शमन पोषाक	01सेट
18	श्वसन उपकरण	01सं
19	एफपीआईआरबी	01सं
20	एस ए आर टी	01सं
21	एल्डिस लैम्प	01सं
22	अलार्म पैनल	01सं
23	फायर बाक्स	06सं

24	फायर हौज एवं नोजल	06 + 04सं
25	फायर हायड्रेंट	06सं
26	पोर्टेबल वी एच एफ	0सं
27	आपातकाल अग्नि पंप	01सं
28	लाईफ ब्याय	06सं
29	फायर एक्स	0सं
30	शिप बेल	01सं
31	सर्च लाईट	01सं

विविध

क्रमांक।	विवरण	संख्या
1	एयर कंडीशनर	13सं
2	रेफ्रिजेरेटर	04सं
3	वाटर फिल्टर	01सं
4	वाटर कूलर	01सं
5	वाल फैन	29सं
6	फ्लैट सहित कैमरा	01सं
7	कम्प्यूटर सीपीयू	01सं
8	डीप फ्रीजर	02सं
9	अल्यूमिनियम गेंगवे	01सं
10	गीजर (वाटर)	04सं
11	बैट्री (24 वोल्ट)	16सं
12	बैट्री चार्जर	02सं
13	कपबोर्ड के साथ बेड बंक	38सं
14	प्लास्टिक कुर्सी	13सं
15	अवन के साथ हाट प्लेट	01सं
16	वेट ग्राइंडर	01सं
17	वाश बेसिन स्टील	10सं
18	एंगल ग्राइंडर	01सं
19	चार्ट एवं समानांतर रुलर	-
20	पी सी के साथ चादर (सिंगल)	25सं
21	डिनर प्लेट	01दर्जन
22	मिक्सर ग्राइंडर	01सं
23	गेली यूटेंसिल	-
24	कंबल	03सं
25	फिशिंग नेट	03सं

26	रस्सी धागा (32 एम एम)	200मी.
27	इंधन	4000ली
28	लुबरिकेंट आइल	100ली
29	लुबरिकेंट आइल	38सं

ईंजन एवं मशीनरी

क्रमांक।	विवरण	संख्या
1	एंकर विंच	01सं
2	एंकर	02सं
3	डेरिक स्विंगर	01सं
4	लॉग लाइनर	01सं
5	हाइड्रो ग्राफिक विंच	01सं
6	ट्राउल विंच	02सं
7	नेट ड्रम	01सं
8	डेक लोडर	01सं
9	मुख्य ईंजन	01सं
10	सहायक ईंजन	03सं
11	एयर कोमप्रेसर	02सं
12	पम्प एवं मोटर्स	13सं
13	रेफ्रिजरेटर कोमप्रेसर	03सं
14	क्रीप पंप	02सं
15	कैप्सटन	01सं
16	वेल्डिंग मशीन	01सं
17	ब्लोअर (ईंजन एवं गैलरी)	03सं
18	ट्राउल ब्लाक	04सं
19	प्रोपेलर ब्लेड (स्पेयर)	01सं
20	रिगिंगब्लाक	08सं
21	चेन ब्लाक	01सं
22	आयल हैंड पम्प	01सं

प्रमाण पत्र

1. फिशिंग बोट(मछली पकड़ने की नाव) की रजिस्ट्री का प्रमाण पत्र
2. श्रेणी छूट- सी बोट
3. कम्पास विचलन कार्ड
4. एचआरयू प्रमाण पत्र के साथ जीवन बेड़ा(लाइफ राफ्ट)
5. रॉकेट पैराशूट
6. फायर मैन सूट
7. श्वसन उपकरण
8. लाइफ जैकेट लाइट्स
9. जीवन जैकेट एवं सीटी
10. अग्निशामक निरीक्षण एवं परीक्षण
11. समुद्री मोबाइल स्टेशन लाइसेंस
12. ईपीआईआरबी पंजीकरण - 04-09-2006
13. डॉकिंग
14. अंतिम सर्वेक्षण का प्रमाण पत्र
15. कमान का परिवर्तन
16. शिप स्टेशन लाइसेंस

निपटान के लिए नियम और शर्तें

1. ए) जीएसटी 18% या लागू अतिरिक्त दर
यदि नाम को स्थानांतरित करके जलयान को पुनः उपयोग के उद्देश्य से ले जाया जाता है, ऐसे में जहां आवश्यक हो, एमएमडी (व्यापारिक समुद्री विभाग) अनुमोदन प्राप्त करने के बाद, जलयान के लिए लागू जीएसटी अतिरिक्त भुगतान किया जाएगा।
2. यदि जलयान को स्क्रेप के रूप में सुपुर्दगी ली जाती है, तो स्क्रेप के लिए लागू जीएसटी बोलीदाता(बीडर) द्वारा अतिरिक्त भुगतान किया जाएगा।
3. आयकर: आयकर अधिनियम की धारा 206सी के अनुसार आयकर @ 1% या जैसा लागू हो, टीडीएस पर अतिरिक्त एकत्र किया जाएगा।
4. सरकारी लेवी में कोई भी परिवर्तन लागू होते हैं।
बोलीदाताओं की दर ई-नीलामी बंद होने के अगले दिन से 3 महीने की अवधि के लिए वैध होनी चाहिए।
5. बीडर को या तो स्क्रेपिंग के लिए या "जहां है जैसा है आधार" पर पुनः उपयोग के लिए बोली लगाने की अनुमति है। सफल बोलीदाता को जहाज तोड़ने की गतिविधि के लिए सक्षम प्राधिकारियों से स्वयं ही अपेक्षित निकासी प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।
6. सफल बीडर को "जहाँ है जैसी है" स्थिति में / पुनः उपयोग के उद्देश्य से जलयान की डिलीवरी लेने की अनुमति दी जाएगी। क्लीयरेंस सिक्योरिटी डिपॉजिट एवं जी.एस.टी. सहित भुगतान करने के बाद ही की जाएगी, बोलीदाता की लागत और जोखिम पर संस्थान से पंजीकरण में आवश्यक परिवर्तन प्राप्त करने के लिए आवश्यक पत्र जारी किया जाएगा। नाम और वितरण में परिवर्तन निःशुल्क वितरण अवधि के भीतर ही किया जाना चाहिए। यदि विलंब होता है, तो प्रतिदिन के आधार पर बर्थिंग प्रभार और भूमि किराया प्रभार यथा लागू रकम वसूल किया जाएगा।
7. यदि बोलीदाता जहाज को स्क्रेप करने के लिए तैयार है, तो यह बोलीदाता की जिम्मेदारी है कि वह जहाज को स्क्रेप करने के लिए अन्य पोर्ट/स्थान पर ले जाए और यदि जहाज तोड़ने की गतिविधि मुंबई पोर्ट पर ही की जानी है, तो बोली

लगाने वाले को पत्तन या किसी अन्य प्रधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना होगा।

8 i) क्रेताओं को पूरी तरह से जिम्मेदार ठहराया जाएगा यदि पोत या उसके किसी भी घटक जहाज की डिलीवरी लेने के बाद बंदरगाह के भीतर डूब जाता है और डूबे हुए जहाज या उसके हिस्सों को पानी के नीचे से बचाने में खर्च किया गया खर्च वसूल किया जाएगा। क्रेता से उसके देय किसी भी पैसे से या अन्य तरीकों से जब तक कि वह स्वयं इसे अनुमत खाली समय के भीतर नहीं हटाता है, लागू शुल्क का भुगतान करता है।

ii) भुगतान करने की तिथि से, पोत क्रेता के जोखिम पर होगा, भले ही पोत मुंबई पोर्ट ट्रस्ट परिसर में पड़ा हो। क्रेता को अपने नियमों और दिशा-निर्देशों के अनुसार मुंबई पोर्ट ट्रस्ट से डॉक एंट्री पास प्राप्त करके अपनी सुरक्षा लगाने की अनुमति होगी।

9. पोत के लिए कोई बर्थ सुविधा प्रदान करने के लिए सीआईएफई जिम्मेदार नहीं होगा। सुविधाओं या उपकरणों की अनुपलब्धता के कारण किसी भी मुआवजे के लिए किसी भी दावे पर विचार नहीं किया जाएगा।

10. प्री-बिड मीटिंग 29 जुलाई 2022 को दोपहर 03:30 बजे सीआईएफई, न्यू कैंपस, पंच मार्ग, ऑफ यारी रोड, वर्सोवा, अंधेरी (पश्चिम), मुंबई - 61 में आयोजित की जाएगी।

11. प्री-बिड मीटिंग स्थल भा कृ अनु प-के मा शि सं, मुंबई होगा। सफल बोलीदाता उप संरक्षक द्वारा बताए गए स्थान पर आवश्यक मरम्मत, यदि कोई हो, करेगा और निर्धारित निःशुल्क अवधि के बाद प्रतिदिन आधार पर बर्थ किराया प्रभार का भुगतान करेगा। लेकिन निशुल्क अवधि के दौरान भी मरम्मत या किसी अन्य उद्देश्य के लिए कोई वाणिज्यिक बर्थ आवंटित नहीं की जाएगी।

12. जलयान के नौवहन संचालन के लिए, बोलीदाता के पास विकल्प है कि वह या तो पूरी तरह से ट्रस्ट के कर्मियों को काम सौंप दे जो इसके लिए शुल्क लेंगे या वैकल्पिक रूप से बोलीदाता जहाज को डीसी द्वारा बताए गए स्थान पर ले जाने की व्यवस्था कर सकता है, लॉन्च आदि को किराए पर ले सकता है। हालांकि, जलयान के वास्तविक संचालन के लिए, डीसी द्वारा बताए गए स्थान पर इस उद्देश्य के लिए उपयोग किए जाने वाले गियर को बोलीदाता द्वारा के मा शि सं से

सीआईएफई की दरों के पैमाने पर किराए पर लेना होगा क्योंकि पोत ढोने के लिए इस गियर का कोई अन्य विकल्प नहीं है ।

13. निपटान सुरक्षा जमा, आयकर, जी.एस.टी आदि सहित पूर्ण बिक्री मूल्य के भुगतान जैसी आवश्यक औपचारिकताओं को पूरा करने पर ही प्रभावी होगा। ।

14. स्क्रेप यार्ड में भुगतान किए जाने वाले किसी भी कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क आदि को बोली लगाने वाले को वहन करना होगा।

15. आवश्यक प्रमाण पत्र प्राप्त करना और मर्केटाइल समुद्री विभाग और अन्य संबंधित प्राधिकरणों से अपेक्षित यात्रा/टोवेज वैधानिक आवश्यकताओं का पालन करना ताकि पोत को तोड़ने या पुनः उपयोग के लिए बंदरगाह से बाहर जाने में सक्षम बनाया जा सके, यह बोलीदाता की अपनी लागत और परिणामों पर एकमात्र जिम्मेदारी होगी।

सफल बोलीदाता को लागू जीएसटी के साथ शेष बिक्री मूल्य का भुगतान करना होगा, तीस (30) कैलेंडर दिनों के भीतर कुल बिक्री मूल्य पर आयकर और 5% निकासी सुरक्षा जमा (सीएसडी) संस्थान द्वारा स्वीकृति पत्र/निपटान आदेश जारी करने की तिथि से। इसके बाद, विलंबित भुगतान खंड लागू होता है।

प्रमाण पत्र

1. फिशिंग बोट(मछली पकड़ने की नाव) की रजिस्ट्री का प्रमाण पत्र
2. श्रेणी छूट- सी बोट
3. कम्पास विचलन कार्ड
4. एचआरयू प्रमाण पत्र के साथ जीवन बेड़ा(लाईफ राफ्ट)
5. रॉकेट पैराशूट
6. फायर मैन सूट
7. श्वसन उपकरण
8. लाइफ जैकेट लाइट्स
9. जीवन जैकेट एवं सीटी
10. अग्निशामक निरीक्षण एवं परीक्षण
11. समुद्री मोबाइल स्टेशन लाइसेंस
12. ईपीआईआरबी पंजीकरण - 04-09-2006
13. डॉकिंग
14. अंतिम सर्वेक्षण का प्रमाण पत्र
15. कमान का परिवर्तन
16. शिप स्टेशन लाइसेंस

निपटान के लिए नियम और शर्तें

1. ए) जीएसटी 18% या लागू अतिरिक्त दर

यदि नाम को स्थानांतरित करके जलयान को पुनः उपयोग के उद्देश्य से ले जाया जाता है, ऐसे में जहां आवश्यक हो, एमएमडी (व्यापारिक समुद्री विभाग) अनुमोदन प्राप्त करने के बाद, जलयान के लिए लागू जीएसटी अतिरिक्त भुगतान किया जाएगा।

2. यदि जलयान को स्क्रेप के रूप में सुपुर्दगी ली जाती है, तो स्क्रेप के लिए लागू जीएसटी बोलीदाता(बीडर) द्वारा अतिरिक्त भुगतान किया जाएगा।

3. आयकर: आयकर अधिनियम की धारा 206सी के अनुसार आयकर @ 1% या जैसा लागू हो, टीडीएस पर अतिरिक्त एकत्र किया जाएगा।

4. सरकारी लेवी में कोई भी परिवर्तन लागू होते हैं।

बोलीदाताओं की दर ई-नीलामी बंद होने के अगले दिन से 3 महीने की अवधि के लिए वैध होनी चाहिए।

5. बीडर को या तो स्क्रेपिंग के लिए या "जहां है जैसा है आधार" पर पुनः उपयोग के लिए बोली लगाने की अनुमति है। सफल बोलीदाता को जहाज तोड़ने की गतिविधि के लिए सक्षम प्राधिकारियों से स्वयं ही अपेक्षित निकासी प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।

6. सफल बीडर को "जहाँ है जैसी है" स्थिति में / पुनः उपयोग के उद्देश्य से जलयान की डिलीवरी लेने की अनुमति दी जाएगी। क्लियरेंस सिक्योरिटी डिपॉजिट एवं जी.एस.टी. सहित भुगतान करने के बाद ही की जाएगी, बोलीदाता की लागत और जोखिम पर संस्थान से पंजीकरण में आवश्यक परिवर्तन प्राप्त करने के लिए आवश्यक पत्र जारी किया जाएगा। नाम और वितरण में परिवर्तन निःशुल्क वितरण अवधि के भीतर ही किया जाना चाहिए। यदि विलंब होता है, तो प्रतिदिन के आधार पर बर्थिंग प्रभार और भूमि किराया प्रभार यथा लागू रकम वसूल किया जाएगा।

7. यदि बोलीदाता जहाज को स्क्रेप करने के लिए तैयार है, तो यह बोलीदाता की जिम्मेदारी है कि वह जहाज को स्क्रेप करने के लिए अन्य पोर्ट/स्थान पर ले जाए और यदि जहाज तोड़ने की गतिविधि मुंबई पोर्ट पर ही की जानी है, तो बोली

लगाने वाले को पत्तन या किसी अन्य प्रधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना होगा।

8 i) क्रेताओं को पूरी तरह से जिम्मेदार ठहराया जाएगा यदि पोत या उसके किसी भी घटक जहाज की डिलीवरी लेने के बाद बंदरगाह के भीतर डूब जाता है और डूबे हुए जहाज या उसके हिस्सों को पानी के नीचे से बचाने में खर्च किया गया खर्च वसूल किया जाएगा। क्रेता से उसके देय किसी भी पैसे से या अन्य तरीकों से जब तक कि वह स्वयं इसे अनुमत खाली समय के भीतर नहीं हटाता है, लागू शुल्क का भुगतान करता है।

ii) भुगतान करने की तिथि से, पोत क्रेता के जोखिम पर होगा, भले ही पोत मुंबई पोर्ट ट्रस्ट परिसर में पड़ा हो। क्रेता को अपने नियमों और दिशा-निर्देशों के अनुसार मुंबई पोर्ट ट्रस्ट से डॉक एंट्री पास प्राप्त करके अपनी सुरक्षा लगाने की अनुमति होगी।

9. जलयान के लिए कोई बर्थ सुविधा प्रदान करने के लिए सीआईएफई जिम्मेदार नहीं होगा। सुविधाओं या उपकरणों की अनुपलब्धता के कारण किसी भी मुआवजे के लिए किसी भी दावे पर विचार नहीं किया जाएगा।

10. प्री-बिड मीटिंग 05 सितंबर 2022 को दोपहर 03:00 बजे सीआईएफई, न्यू कैंपस, पंच मार्ग, ऑफ यारी रोड, वर्सोवा, अंधेरी (पश्चिम), मुंबई - 61 में आयोजित की जाएगी।

11. प्री-बिड मीटिंग स्थल भा कृ अनु प-के मा शि सं, मुंबई होगा। सफल बोलीदाता उप संरक्षक द्वारा बताए गए स्थान पर आवश्यक मरम्मत, यदि कोई हो, करेगा और निर्धारित निःशुल्क अवधि के बाद प्रतिदिन आधार पर बर्थ किराया प्रभार का भुगतान करेगा। लेकिन निशुल्क अवधि के दौरान भी मरम्मत या किसी अन्य उद्देश्य के लिए कोई वाणिज्यिक बर्थ आवंटित नहीं की जाएगी।

12. जलयान के नौवहन संचालन के लिए, बोलीदाता के पास विकल्प है कि वह या तो पूरी तरह से ट्रस्ट के कर्मियों को काम सौंप दे जो इसके लिए शुल्क लेंगे या वैकल्पिक रूप से बोलीदाता जहाज को डीसी द्वारा बताए गए स्थान पर ले जाने की व्यवस्था कर सकता है, लॉन्च आदि को किराए पर ले सकता है। हालांकि, जलयान के वास्तविक संचालन के लिए, डीसी द्वारा बताए गए स्थान पर इस उद्देश्य के लिए उपयोग किए जाने वाले गियर को बोलीदाता द्वारा के मा शि सं से

सीआईएफई की दरों के पैमाने पर किराए पर लेना होगा क्योंकि पोत ढोने के लिए इस गियर का कोई अन्य विकल्प नहीं है ।

13. निपटान सुरक्षा जमा, आयकर, जी.एस.टी आदि सहित पूर्ण बिक्री मूल्य के भुगतान जैसी आवश्यक औपचारिकताओं को पूरा करने पर ही प्रभावी होगा। ।

14. स्क्रेप यार्ड में भुगतान किए जाने वाले किसी भी कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क आदि को बोली लगाने वाले को वहन करना होगा।

15. आवश्यक प्रमाण पत्र प्राप्त करना और मर्केटाइल समुद्री विभाग और अन्य संबंधित प्राधिकरणों से अपेक्षित यात्रा/टोवेज वैधानिक आवश्यकताओं का पालन करना ताकि पोत को तोड़ने या पुनः उपयोग के लिए बंदरगाह से बाहर जाने में सक्षम बनाया जा सके, यह बोलीदाता की अपनी लागत और परिणामों पर एकमात्र जिम्मेदारी होगी। .

16. निरीक्षण - यह माना जाता है कि जलयान और जलयान के वर्ग अभिलेखों का निरीक्षण उस स्थान पर किया गया है जहां जहाज बिक्री के लिए रखा गया है और बोलीदाता द्वारा स्वीकार किया गया है, इस संबंध में अन्य कोई मांग नहीं उठाया जाएगा।

17. यदि जलयान को स्क्रेप कर दिया जाता है, तो बोलीदाता की यह बाध्यता है कि वह सीआईएफई, मुंबई को उस बंदरगाह से जहाज के स्क्रेप का प्रमाण प्रस्तुत करे जहां इसे स्क्रेप किया गया है।

18. निपटान उपकरण को हटाने और संभालने के लिए आवश्यक किसी भी ट्रस्ट के उपकरण उपलब्धता के अधीन ट्रस्ट के प्रचलित दरों के पैमाने के अनुसार शुल्क के आधार पर बोलीदाताओं को प्रदान किए जाए.

19. निपटान प्रक्रिया के दौरान होनेवाली अग्नि सुरक्षा की जिम्मेदारी ठेकेदार द्वारा जहाज की आवाजाही / स्क्रेपिंग या कोई अन्य कार्रवाई पूरी तरह से ठेकेदार द्वारा कवर की जाएगी।

20. भुगतान की शर्तें:-

क) यदि कोई नीलामी स्वीकार की जाती है, तो इसके बाद क्रेता के रूप में संस्थान द्वारा बुलाए गए सफल बीडर को बिक्री सूचना पत्र जारी होने के पंद्रह (15) कैलेंडर दिनों के भीतर कुल बिक्री मूल्य का 25% (पच्चीस प्रतिशत) सुरक्षा जमा जमा

करना होगा। यदि सफल बोलीदाता सुरक्षा जमा राशि को जमा करने में असफल हो जाता है तो उसके द्वारा जमा की गयी राशि (ईएमडी) जप्त हो जाएगी।

सुरक्षा जमा का भुगतान डीडी (निदेशक आईसीएआर यूनिट सीआईएफई मुंबई के पक्ष में) / आरटीजीएस / एनईएफटी से सीआईएफई मुंबई मुख्य खाता # 10132355212, एसबीआई, वर्सावा (आईएफएस कोड: एसबीआईएन0003117) के माध्यम से किया जाएगा। डिमांड ड्राफ्ट के मामले में स्वीकृति पत्र केवल वसूली के अधीन ही जारी किया जाएगा।

सफल बीडर को लागू जीएसटी के साथ शेष बिक्री मूल्य का भुगतान करना होगा, तीस (30) कैलेंडर दिनों के भीतर कुल बिक्री मूल्य पर आयकर और 5% निकासी सुरक्षा जमा (सीएसडी) संस्थान द्वारा स्वीकृति पत्र/निपटान आदेश जारी करने की तिथि से, विलंबित भुगतान खंड लागू होता है।

बी) शेष बिक्री मूल्य के लिए विलंबित भुगतान- विलंबित अवधि के लिए 1% प्रति सप्ताह या उसके हिस्से की अधिकतम चार सप्ताह की अवधि तक ब्याज की वसूली की जाएगी। ब्याज संस्थान द्वारा वसूला जाएगा। अन्यथा, फर्म का सामग्री पर कोई दावा नहीं होगा और संस्थान पुनः नीलामी आयोजित करके सामग्री को पुनर्विक्रय करने का अधिकार सुरक्षित होगा, बीडर द्वारा भुगतान की गई पूरी राशि जब्त कर ली जाएगी और संस्थान निजी तौर पर जहाज को फिर से बेच देगा। चूककर्ता के जोखिम और जिम्मेदारी पर सार्वजनिक नीलामी और पुनर्विक्रय के कारण हुए नुकसान की भरपाई के लिए उत्तरदायी होगा, शेष बिक्री मूल्य खंड का यह विलंबित भुगतान सुरक्षा जमा के भुगतान के लिए लागू नहीं है। भुगतान की पुष्टि की रसीद बीडर द्वारा संस्थान के वित्त विभाग से प्राप्त की जाएगी और इसे निपटान आदेश प्राप्त करने के लिए संस्थान के क्रय अनुभाग को प्रस्तुत किया जाएगा।

21. निपटान आदेश - संस्थान लागू वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी), आयकर (आईटी) और निकासी सुरक्षा जमा (सीएसडी) के साथ 100% बिक्री मूल्य के

भुगतान के लिए नियंत्रक, सीआईएफई, मुंबई से प्राप्त रसीद प्रस्तुत करने पर निपटान आदेश जारी करेगा।

22. निपटान निर्देश : निपटान आदेश जारी होने पर संस्थान द्वारा संबंधित को आवश्यक सुपुर्दगी निर्देश जारी किए जाएंगे।

23. खरीदार के लिए सभी जोखिम: जलयान हर पहलू में, खरीदार के जोखिम पर उसके प्रस्ताव की स्वीकृति के समय से बना रहेगा। बिक्री की पुष्टि हो जाने के बाद विक्रेता सुरक्षित अभिरक्षा, सुरक्षा या संरक्षण के लिए कोई दायित्व नहीं लेगा। प्रकृति के टूट-फूट से परिवर्तन के अधीन जलयान को बिक्री के लिए रखा जाता है। एक बार नीलामी स्वीकार कर लिए जाने के बाद बेचे गए जलयान की गुणवत्ता या विवरण के संबंध में किसी भी शिकायत पर विचार नहीं किया जाएगा।

यदि बीडर अपना प्रस्ताव वापस लेता है या प्रस्तावित बिक्री की राशि जमा करने में विफल रहता है, तो पूर्व-नीलामी ईएमडी या इस बिक्री के लिए संस्थान के पास उपलब्ध कोई अन्य राशि जो भी उचित समझा जाएगा, जब्त कर ली जाएगी और उसके असंतोषजनक प्रदर्शन या कार्रवाई को रिकॉर्ड करने के अलावा उसका प्रस्ताव रद्द कर दिया जाएगा।

भुगतान प्राप्त होने के बाद डिलीवरी पूरी तरह या आंशिक रूप से असंभव पाए जाने की स्थिति में, गैर-डिलीवर किए गए माल के मूल्य की वापसी बीडर को संस्थान से एक अंडरटेकिंग के साथ की जाएगी, जो आगे से मुआवजे के लिए दावा नहीं करेगी।

24. निकासी सुरक्षा जमा - संस्थान लागू करों एवं बिक्री मूल्य के साथ बीडर से निकासी सुरक्षा जमा के लिए मूल बिक्री मूल्य का 5% एकत्र करेगा। यह ईसीएस के माध्यम से संबंधित बोलीदाताओं को संस्थान द्वारा सामग्री की डिलीवरी के पूरा होने के बाद वापस कर दिया जाएगा। यदि नीलामी की गई सामग्री को उठाने से उत्पन्न बची हुई सामग्री / मलबा / कचरा सफल बोलीदाता द्वारा संस्थान के अधिकारियों की संतुष्टि के लिए साफ नहीं किया गया है, तो भुगतान की गई कुल 5% निकासी सुरक्षा जमा, संस्थान द्वारा जब्त कर ली जाएगी।

25. निपटान अवधि: सीआईएफई द्वारा जारी निपटान आदेश जारी होने की तिथि से 100 दिन तक

26. निपटान अवधि के विस्तार के लिए जमीन का किराया - लागू किराया मूल बिक्री मूल्य का ½% प्रति दिन चार सप्ताह तक है, जो मुफ्त अवधि की समाप्ति की तारीख से निपटान अवधि बढ़ाने के लिए अधिकतम समय है। यदि चार सप्ताह के विस्तारित अधिकतम समय के भीतर माल की निकासी नहीं की जाती है, तो बीडर द्वारा छोड़ा गया माल, चाहे वह पूरे या आंशिक रूप से हो, संस्थान द्वारा ले लिया जाएगा और बीडर

का सीएसडी सहित सामग्री और बिक्री मूल्य पर कोई दावा नहीं होगा। GST- जो ग्रांड रेंट और सेल वैल्यू दोनों पर लागू होता है।

27. नीलामी में भाग लेने वाले बोलीदाताओं को किसी भी स्पष्टीकरण के लिए वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी , सीआईएफई मुंबई से संपर्क करना होगा और इसके द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण केवल बाध्यकारी और अंतिम होगा।

28. जलयान और उसकी सूची "जहाँ है जैसी स्थिति है" के आधार पर पेश की जाती है। अनुसूची "ए" में दिए गए विवरण केवल पेश किए गए सामान का एक विचार देने के लिए हैं और प्रस्ताव की "जहाँ है" प्रकृति को नहीं बदलेगा।

29. नीलामी को अस्वीकार करने का अधिकार: के मा शि सं , मुंबई के पास नीलामी को स्वीकार/अस्वीकार करने, बोली स्वीकार करने/स्वीकृति पत्र जारी करने/बिक्री आदेश/डिलीवरी ऑर्डर/पूरी राशि जमा करने से पहले या बाद में किसी भी स्तर पर सूची में किसी भी वस्तु को वापस लेने का अधिकार सुरक्षित है। बिना कोई कारण बताए बोलीदाता द्वारा बिक्री मूल्य और ऐसी सामग्री का मूल्य यदि भुगतान किया गया है, तो वह वापस किया जाएगा। ट्रस्ट बिक्री से किसी भी स्तर पर इस तरह की वापसी के कारण बीडर को हुए नुकसान/नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

30. निविदा में बेचे गए माल की निकासी के लिए आवश्यक अस्थायी पास और वाहन का परमिट भुगतान के आधार पर लिया जा सकता है और मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के दिशानिर्देशों के अनुसार प्रक्रिया का पालन किया जा सकता है।

31. गलत विवरण या मात्रा में त्रुटि बिक्री को अमान्य नहीं करेगी। किसी भी सामग्री में किसी भी दोष या दोष के कारण किसी भी बिक्री को अमान्य नहीं किया जा सकता है। क्रेता को धनवापसी तब की जाएगी जब सुपुर्दगी की मात्रा निविदा में उल्लिखित मात्रा से कम होगी (अनुसूची "ए")

32. जहाज और उसकी सूची को डिलीवरी आदेश जारी होने की तारीख से ऊपर निर्धारित समय अवधि के भीतर डॉक परिसर से हटा दिया जाना चाहिए, चाहे जहाज को विघटित करके या अन्यथा, उसे गोदी परिसर के भीतर प्रमुख भागों को किराए पर लेने की अनुमति दी जाएगी। यातायात विभाग से क्रेनों को बोर्ड में निर्धारित दरों पर उपलब्धता के अनुसार दरों का मान सुपुर्दगी आदेश जारी होने की तिथि से उपरोक्त निर्धारित समयावधि के लिए आवश्यक स्थान उपलब्ध कराया जाएगा।

33. ठेकेदार बेचे गए पोत को हटाने के लिए अपने स्वयं के उपकरणों का उपयोग करेगा और कार्य के निष्पादन के दौरान किसी भी कर्मचारी या किसी अन्य व्यक्ति और संपत्ति को हुए किसी भी नुकसान या चोट के संबंध में संस्थान और एमबीपीटी को क्षतिपूर्ति करेगा।

34. अनुसूची "ए" में शामिल सामग्री का वितरण मुंबई पोर्ट ट्रस्ट द्वारा निर्धारित समय पर किया जाना चाहिए।

35. यदि, किन्हीं कारणों से सुपुर्दगी कार्यालय समय से अधिक हो जाती है, तो समय के साथ अनुमेय प्रभार संबंधित को तुरंत प्रेषित करना होगा।

36. ठेकेदार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पोत को हटाने के दौरान बंदरगाह की संपत्तियों को नुकसान न पहुंचे, ऐसा न करने पर संस्थान के पास जमा की गई निकासी सुरक्षा जमा (सीएसडी) राशि से क्षति को ठीक करने की लागत की वसूली की जाएगी। बोलीदाता डॉक सुरक्षा विनियमों और ऐसे अन्य विनियमों का पालन करेगा और यदि कोई उल्लंघन होता है तो संस्थान को क्षतिपूर्ति करेगा। हार्बर परिसर के भीतर उसके द्वारा नियोजित श्रमिकों के अनुशासन के लिए भी बीडर जिम्मेदार होगा।

37. बेचे गए वेसल और इन्वेंट्री को हटाना डिलीवरी ऑर्डर में उल्लिखित एसआईसी वेसल मैनेजमेंट या उनके प्रतिनिधि की देखरेख में किया जाएगा जो हटाने के लिए गेट पास जारी करने में मदद करेगा।

38. ठेकेदार राज्य या केंद्र सरकार या बोर्ड और अन्य सभी स्थानीय प्राधिकरणों जैसे मुंबई निगम, महाराष्ट्र बिजली बोर्ड, सरकारी सीमा शुल्क और पुलिस विभागों, अग्निशमन सेवाओं के विनियमों और उप-नियमों के अनुरूप होगा और उनका पालन करेगा। राज्य विधानमंडल और केंद्रीय संसद द्वारा लागू किए गए विभिन्न श्रम अधिनियमों में निहित प्रावधान और उसके तहत बनाए गए नियम, जिनमें न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, कारखाना अधिनियम, भारतीय विद्युत अधिनियम और इसके तहत बनाए गए नियम, कामगार मुआवजा अधिनियम शामिल हैं। भविष्य निधि विनियम अधिनियम, कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1961 और उक्त अधिनियम के तहत बनाई गई योजनाएं। श्रमिकों के कल्याण और सुरक्षा के लिए या जनता की सुरक्षा और अन्य बीमा प्रावधानों के लिए श्रमिकों आदि के लिए स्वास्थ्य और स्वच्छता व्यवस्था, और अनुबंध श्रम (विनियम और उन्मूलन) केंद्रीय नियम 1971 आदि।

39. उपरोक्त पैरा में निर्दिष्ट अधिनियमों, नियमों, विनियमों के प्रावधानों के अनुरूप ठेकेदार की विफलता के लिए संस्थान उत्तरदायी नहीं होगा और अधिनियमों, नियमों, विनियमों आदि के प्रावधानों के किसी भी उल्लंघन के मामले में, ठेकेदार उल्लंघन के लिए कोई कार्रवाई किए जाने की स्थिति में किसी भी नुकसान और क्षति के लिए बोर्ड को क्षतिपूर्ति करेगा।

40. यदि किसी विदेशी को ठेकेदार द्वारा हार्बर परिसर के भीतर काम करने के लिए नियोजित किया जाता है, तो बाद में यह सुनिश्चित करना होगा कि ऐसे विदेशी के पास समय समय पर जारी किए गए नागरिक प्राधिकरण द्वारा लिखित रूप में जारी आवश्यक विशेष परमिट है। इस संबंध में, ऐसे विदेशी की ओर से किसी भी चूक की स्थिति में, ठेकेदार को व्यक्तिगत रूप से चूक के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा और संस्थान किसी भी स्थिति में उत्तरदायी नहीं होगा।

41. अनुसूची "ए" में निर्दिष्ट मात्रा के बावजूद, निदेशक सीआईएफई मुंबई के पास केवल ऐसी मात्रा का निपटान करने का अधिकार सुरक्षित है जो निविदा को अंतिम रूप देने के समय निपटान के लिए आवश्यक हो।

42. यह स्पष्ट रूप से समझा जाना चाहिए कि निविदा में उद्धृत कीमतों में काम के उचित समापन के लिए विनिर्देश और बिक्री की शर्तों के लिए आवश्यक सभी चीजें शामिल हैं, हालांकि इसका विशेष उल्लेख छोड़ दिया गया है।

43. अनुबंध रद्द करने के लिए उत्तरदायी होगा, यदि ठेकेदार स्वयं या उसका कोई कर्मचारी ऐसा व्यक्ति पाया जाता है जिसने सेवानिवृत्ति से ठीक पहले बोर्ड के तहत एक श्रेणी-। पद धारण किया है और ऐसी सेवानिवृत्ति के दो साल के भीतर पूर्व प्राप्त किए बिना स्वीकार कर लिया है। बोर्ड या अध्यक्ष की अनुमति, जैसा भी मामला हो, लोक निर्माण के निष्पादन के संबंध में ठेकेदार के रूप में एक रोजगार या ऐसे ठेकेदार के कर्मचारी के रूप में जिम्मेदार होगा।

44. यदि उपरोक्त खंड का अनुपालन करने में ठेकेदार की विफल होता है तो ऐसे में संस्थान को होने वाली असुविधा के संबंध में संस्थान की जलयान प्रबंधन समिति द्वारा निर्धारित की जाने वाली क्षतियों को ठेकेदार से वसूल करने का हक होगा।

45. ठेकेदार बोर्ड द्वारा पट्टे पर दिए गए परिसर सहित बोर्ड से संबंधित किसी भी स्थान पर किसी भी गंभीर या घातक दुर्घटना के बारे में संस्थान और पुलिस विभागों, सुरक्षा बल को तुरंत रिपोर्ट करने के लिए अपने किसी भी कर्मचारी/कर्मचारी को रिपोर्ट करने के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगा।

46. बिक्री की किसी भी शर्त की व्याख्या से उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद के मामले में, निदेशक, सीआईएफई मुंबई का निर्णय अंतिम और ठेकेदार पर बाध्यकारी होगा।

47. निविदाओं का मूल्यांकन करते समय, राष्ट्रीय रक्षा और सुरक्षा कारणों को ध्यान में रखा जाएगा।

48. सभी विवाद केवल मुंबई क्षेत्राधिकार के अधीन हैं। जलयान को हटाने या स्क्रेप करने के कारण किसी भी क्षति के लिए भाकृअनुप-केमाशिसं, मुंबई जिम्मेदार नहीं होगा।